न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 10 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. सवाईसिंह पुत्र बुधसिंह वगै. **बनाम** 1.अनोपसिंह पुत्र सिमरथसिंह का.मु. वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री हाजीखां अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–12.10.2022

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान अपीलकर्ता को इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने एक झूठा व मनगढ़त, मिलीभगत करके, अपने व अपने दो भाईयों आसूसिंह व कल्याणसिंह को फायदा पहुंचाने के लिये दावा पेश करके अपीलांटगण के पूर्वजों की कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत से वादी द्वारा सरासर झूठे आधारों व तथ्यों के आधार पर एवं राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलावट कर बाले–वाले निर्णय पारित करवाकर राजस्व दस्तावेजों में अपने नाम खातेदारी में इन्द्राज व बंटवाडा करवाकर मामले का रफा दफा कर रखा था एवं उक्त निर्णय एवं डिक्री को इतने वर्षों तक दबाये रखा एवं वादी एवं उनके दोनों भाईयों के परिवार वालों ने अपीलांटगण के परिवार वालों के साथ लडाई झगडा एवं मुकदमेबाजी करवाने के कारण परिवारों मे आना, जाना सम्पर्क बंद होने से, अपीलांटगण व उनके पूर्वजों को उक्त गलत निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं मिल सकी। अपीलांट उम्मेदसिंह के पिताजी दीपसिंह का दिनांक 04.12.2020 को देहान्त होने के बाद अपीलांट द्वारा अपने पिताजी के पीछे सामाजिक रीतिरिवास करने बाद हल्का पटवारी के पास नामान्तकरण एवं अन्य कार्यवाही बाबत गया एवं अपने पूर्वजों व पिताजी के भूमि के बारे में पूछताछ की, उस समय हल्का पटवारी ने कहा कि आपके पूर्वजो की भूमि को वादी ने न्यायालय से फैसला करवाते हुए अपने व अपने दो भाईयों के नाम खाते में दर्ज करवा दी है, उसके बाद अपीलांट राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से सम्पर्क करके सही

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जानकारी प्राप्त की, उसके बाद अपीलांटगण उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल लेने पोकरण जैसलमेर गये एवं अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया एवं अपीलांटगण द्वारा न्यायालय में दिनांक 14.04.2021 को नकले की दरख्वास्त दी एवं दिनांक 16.06.2021 को निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, इसी दौरान कोरोना काल का सामय होने से सभी न्यायालयों में कार्य बाधित था एवं अपीलांटगण द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से अन्दर मियाद अपील पेश की गई। वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 2 बुधसिंह के फौत होने के बाद इसी तारीख 23.09.1970 को बुधसिंह के कायम मुकाम की दरख्वास्त पेश नहीं हुई, और न ही उसके वारिसान को रेकर्ड पर लिया गया, तो फिर बुधसिंह की ओर से इस तारीख पेशी दिनांक 23.09.1970 को जवाब दावा कैसे पेश कर दिया गया, इससे साफ तोर से जाहिर होता है कि वादी ने अपने हित व फायदे के लिये सभी कार्यवाही मिलीभगत व मिलावटी तौर से गयी, इस अहम तथ्यों को नजरअंदाजी करतेहुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी विंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RJT 2008(2) Page 1535
RRT 2019(1) Page 7
RRT 2008(1) Page 1406
RRT 2003(1) Page 585
RRT 2020(2) Page 791
RRT 2012(1) Page 668

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए वहस में वताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 03.01.1974 के विरूद्ध दिनांक 16.07.2021 को यानि तकरीवन 47 वर्ष 06 माह के बाद वेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को वास्तविक जानकारी दिनांक 03.01.1974 को हो गई थी। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी

मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निरतारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेष किये:–

RRT 2012(1) Page 569

S.B. CIVIL MISCELLANEOUS APPEAL NO. 4954@2017

CIVIL APPEAL NO 7696 OF 2021

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.1974 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 47 वर्ष 06 माह की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर